

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT  
प्रवर्तन अनुभाग / ENFORCEMENT SECTION

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,  
दूसरा तल, उत्तरी स्कंध/2<sup>nd</sup> Floor, North Wing  
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,  
मुंबई/Mumbai-400 094

दूरभाष/Telephone : 25487217 / 25487267

September , 2021

Ref: DCSEM/Enf/4(4)/Ganesh Utsav/2021/413

विषय : कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय – गणेश उत्सव 2021 मनाने हेतु दिशा-निर्देशों का पालन करने संबंधी

Sub: Preventive measures to contain the spread of Covid - 19 – Guidelines to be followed for celebrating Ganesh Utsav 2021 – regarding –

कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों एवं उसके प्रसार को रोकने के लिए , गणेश उत्सव 2021 आयोजन संबंधी गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अणुशक्तिनगर तथा पऊवि कॉलोनियों के निवासियों को विभागीय क्वार्टरों में गणेशजी की मूर्ति रखने तथा सार्वजनिक समारोह के आयोजनों के लिए जारी दिशा-निर्देश निम्नवत हैं:

Considering the increasing no. of Covid -19 cases and to avoid the spread Home Ministry, Government of Maharashtra has issued guidelines & restrictions for celebrating Ganesh Utsav 2021. The guidelines for the residents of Anushaktinagar and other DAE Colonies for keeping Ganesh idol at Departmental Quarters & and also Sarvajanic Ganapati celebration are as follows:

**A) विभागीय क्वार्टर में गणपति उत्सव समारोह Ganapati Utsav at Departmental Quarter:**

1. घर पर रखे जाने वाले गणेशजी की मूर्ति दो फिट से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए।  
The height of Ganesh Idols placed at home shall be restricted to two feet.
2. जहां तक संभव हों, घर पर रखी जाने वाली गणेशजी की मूर्ति धातु/संगमरमर की होनी चाहिए।  
As far as possible, the Ganesh idols for home shall be of metal / marble.
3. यदि मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो, उसे घर पर या नजदिक के कुएँ / कृत्रिम तालाब में विसर्जित की जाए (जैसे कि अणुशक्तिनगर कॉलोनी हेतु गोलकुंडा कूओं /श्रीनिकेतन कृत्रिम तालाब )।  
If clay idols are placed, they should be preferably immersed at home or in nearby well /artificial ponds. ( eg. Golconda well / Sreeniketan artificial pond for Anushaktinagar Colony).
4. इस वर्ष गणेशजी की मूर्ति लाने एवं विसर्जन के दौरान शोभा-यात्रा की अनुमति नहीं है ताकि भीड़ इकट्ठा न हो सकें।  
Processions to mark arrival and immersion of idol will not be allowed this year as they attract crowd.
5. प्रतिदिन आरती के दौरान भीड़ नहीं होनी चाहिए एवं ध्वनी प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विसर्जन स्थल पर आरती का आयोजन नहीं किया जाएगा। There should be no crowd during daily aarti and noise pollution norms must be followed. No aarti should be conducted at the immersion venue.

**B) सार्वजनिक गणपति Sarvajanic Ganpati:**

1. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गणेशजी की मूर्ति की ऊँचाई 4 फिट से कम होनी चाहिए व पंडाल खुले होने चाहिए।

Size of Ganesh idols must be below 4 feet as per the guidelines issued by state Government and the pandal should be open.

2. कोविड-19 महामारी के दौरान गणेश उत्सव आयोजन की अवधि पाँच दिन की होगी।

Duration of celebrating Ganesh Utsav during Covid – 19 Pandemic is five days only.

3. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार गणेशजी की मूर्ति लाने एवं विसर्जन के दौरान शोभा-यात्रा नहीं निकाली जाएगी।

No procession will be carried out on arrival / immersion as per the guidelines issued by state Government.

4. गणपती पंडालों में फिजिकल डिस्टन्सिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी पंडालों में भक्तजनों के लिए हेंड सैनिटायज़र रखे जाएं।

Measures such as physical distancing, thermal scanning, etc. to be undertaken by the Mandals /Associations. Hand sanitizers will be kept at all pandals for devotees.

5. गणेशजी की मूर्ति का विसर्जन टॉऊनशीप में बने कृत्रिम तालाब में किया जाएगा।

Immersion of Ganesh Idol will be carried out in Artificial Pond within Township.

6. प्रतिदिन आरती के दौरान भीड़ नहीं होनी चाहिए एवं ध्वनी प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विसर्जन स्थल पर आरती का आयोजन नहीं किया जाएगा।

There should be no crowd during daily aarti and noise pollution norms must be followed. No aarti should be conducted at the immersion venue.

7. केवल स्वैच्छिक दान ही स्वीकार किया जाए। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार/प्रसार किया जाए। Only voluntary donation should be accepted. There should be an attempt to propagate health related awareness.

8. बाहरी लोगों/आगंतुकों/वीआईपी लोगों को गणेश पंडालों में आने की अनुमति नहीं है।

No outsiders/visitors/VIP's will be allowed to visit Ganesh Pandals.

9. ऑनलाईन दर्शन को बढ़ावा दिया जाए। Online / Virtual darshan to be encouraged.

10. जब कभी जरूरत हो, संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाए।

Necessary permission to be obtained from the concerned agencies as and when required.

11. आगे भी कोविड-19 के संबंधित, महाराष्ट्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। हैं।

Any further orders/guidelines pertaining to covid-19 issued by the Government of Maharashtra and other competent Authority to be strictly followed.

इसे निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Director, DCSEM.

के. सुधाकर  
25/9/2021

(के. सुधाकर K.Sudhakar)

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

To

1. अणुशक्तिनगर एवं अन्य मुंबई स्थित पडुवि कोलोनियों के सभी निवासी। All residents in Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai through Notice Board

2. सूचना पट्ट द्वारा-संबंधित अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से- प्रदर्शन/व्यापक प्रसार हेतु। All TTM's - Thro' Zimbra for wide publicity

3. सभी रहिवासी कल्याण संघ। All Resident Welfare Associations (ARWA, MRWA, WSRWA).